

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/07/2017/19/यो-4757

भोपाल दिनांक 13/09/2017

प्रति,

✓ प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।


विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 163वीं बैठक।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 163वीं बैठक जो दिनांक 01.08.2017 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार निम्नलिखित कार्यों की दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार बजट में सम्मिलित कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

क्र.	जिला	मांग / मद संख्या	कार्य का नाम	लंबाई (कि०मी० में)	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	सागर	24-5054-0101-2457	नवलपुर से नारायणपुर से जमुनियाटीके मार्ग	7.50	484.76
2	सागर	24-5054-0101-2457	डुगरिया से उदरका (मुख्य मार्ग) मार्ग	4.00	305.52
3	शिवपुरी	24-5054-0101-2457	गूडर से गोलाकोट मार्ग	2.20	205.22
4	सीहोर	24-5054-0101-2457	बासनिया जोड़ से दिघवाड़ मार्ग	7.00	1170.67
5	सीहोर	24-5054-0101-2457	बारदा से झोलियापुर मार्ग	2.20	201.43

2/ उक्त कार्यों हेतु मांग संख्या 24/5054-0101-2457 प्राप्त प्राक्कलन वापिस किये जाते हैं। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराये जावे, तथा प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।


12/9/2017

3/ उपरोक्त कार्यो हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जावें।

4/ उक्त स्वीकृत कार्यो को वेबसाईड पर डाले जाये।

सहपत्र:-05 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)

सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग
भोपाल दिनांक 13/09/2017

पृ0 क्रमांक एफ-43/07/2017/19/यो-4258
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता (सागर परि0) लोक निर्माण विभाग सागर।
 2. मुख्य अभियंता (उत्तर परि0) लोक निर्माण विभाग ग्वालियर।
 3. मुख्य अभियंता (राज0 परि0) लोक निर्माण विभाग भोपाल।
 4. निज सचिव, मान. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
 5. रिकार्ड फाईल योजना शाखा मंत्रालय।
- की ओर सूचनार्थ (केवल क्रमांक 04 के लिये) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र:-शून्य

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/07/2017/19/यो-4759

भोपाल दिनांक 12/09/2017

प्रति,

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 163वीं बैठक।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा लागत परीक्षण समिति की स्थायी वित्तीय समिति की 163वीं बैठक जो दिनांक 01.08.2017 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार निम्नलिखित कार्यों की दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार योजना मद के अंतर्गत पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.	जिला	मांग /मद संख्या	कार्य का नाम	लंबाई (कि०मी० में)	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	भिण्ड	24-5054-0101-2457	सारुपुरा से टीकरी चौकी बीसलपुरा मार्ग	15.70	1021.65
2	जबलपुर	24-5054-0101-2457	कैमोरी बगसवाही मार्ग (पूर्णतः ध्वस्त) का निर्माण	2.60	114.04
3	नरसिंहपुर	24-5054-0101-2457	एन. एच. 12 (कि. मी. 114/2) से बिजौरा मार्ग	5.00	502.49
4	नरसिंहपुर	24-5054-0101-2457	इमलिया से मुराछ मार्ग	3.50	408.21
5	नरसिंहपुर	24-5054-0101-2457	नरसिंहपुर तिंदनी गरगटा मार्ग	8.00	1329.90

2/ उक्त कार्यों हेतु बजट में मांग संख्या 24-5054- 0101-2457 अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराये जावें। कार्यों हेतु प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन वापिस किये जाते है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराये जावे, तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावें।


PATIL/SFC-A-2016-279

3/ उक्त कार्य हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति अनुसार अनुबंध की शर्तों के अनुरूप नियमानुसार कार्य संपन्न कराया जाये।

4/ उक्त स्वीकृत कार्यों को वेबसाइट पर डाले जाये।

सहपत्र:-05 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)
सचिव

12/9/17


पृ0 क्रमांक एफ-43/07/2017/19/यो-4360
प्रतिलिपि:-

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग
भोपाल दिनांक 13/09/2017

1. मुख्य अभियंता (उत्तर परि0) लोक निर्माण विभाग ग्वालियर।
2. मुख्य अभियंता (मध्य परि0) लोक निर्माण विभाग जबलपुर।
3. निज सचिव, मान. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
4. रिकार्ड फाईल लोक निर्माण विभाग योजना शाखा मंत्रालय।

की ओर सूचनार्थ (केवल क्रमांक 03 के लिये) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र:-शून्य


सचिव 12/9/17
म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/07/2017/19/यो-4355

भोपाल दिनांक 13/09/2017

प्रति,

✓ प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 163वीं बैठक।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 163वीं बैठक जो दिनांक 01.08.2017 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार शाजापुर जिले के अंतर्गत पोचानेर से शेरपुरा मार्ग लंबाई 3.40 कि0मी0 हेतु जिसकी लागत राशि रू0 331.01 लाख (रू0 तीन करोड़ इकतीस लाख एक हजार) मात्र की पुनः पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2/ उक्त कार्य हेतु माँग संख्या 24-5054-0101-2457 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराये जावें। कार्य हेतु प्राप्त पुनः पुनरीक्षित प्राक्कलन वापिस किये जाते हैं। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराया जावे, तथा पुनः पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावें।

3/ उक्त कार्य हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा पुनः पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति अनुसार अनुबंध की शर्तों के अनुरूप नियमानुसार कार्य संपन्न कराया जाये।

5/ उक्त स्वीकृत कार्य को वेबसाईड पर डाला जाये।

सहपत्र:-प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)

सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग
भोपाल दिनांक 13/09/2017

पृ0 क्रमांक एफ-43/07/2017/19/यो-4356

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता (उज्जैन परि0) लोक निर्माण विभाग उज्जैन।
2. निज सचिव, मान. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
3. रिकार्ड फाईल योजना शाखा मंत्रालय भोपाल।

की ओर सूचनार्थ (केवल क्रमांक 02 के लिये) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिषिप्त।

सहपत्र:-शून्य

सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/07/2017/19/यो-4353

भोपाल दिनांक /09/2017

प्रति,

प्रबंध संचालक
म0प्र0 रोड डेव्हलपमेंट
कार्पोरेशन लिमिटेड
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 163वीं बैठक।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 163वीं बैठक जो दिनांक 01.08.2017 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार रीवा जिले के अंतर्गत रीवा सिरमौर-डबोरा मार्ग के कि०मी० 0+200 से 4+500 तक शहरी भाग में फोरलेनिंग लंबाई 4.38 कि०मी० के निर्माण हेतु लागत राशि रू० 1672.92 लाख (रू० सोलह करोड़ बहत्तर लाख बयानवे हजार) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2/ उक्त कार्य हेतु माँग संख्या 24-5054-0101-2457 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराये जावें। कार्य हेतु प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन वापिस किय जाता है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराया जावे, तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावें।

3/ उक्त कार्य हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति अनुसार अनुबंध की शर्तों के अनुरूप नियमानुसार कार्य संपन्न कराया जाये।

5/ उक्त स्वीकृत कार्य को वेबसाईड पर डाला जाये।

सहपत्र:-प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)
सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग
भोपाल दिनांक 13/09/2017

पृ० क्रमांक एफ-43/07/2017/19/यो-4354

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग भोपाल।
 2. निज सचिव, मान. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
 3. रिकार्ड फाईल योजना शाखा मंत्रालय भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ (केवल क्रमांक 02 के लिये) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित।

सहपत्र:-शून्य

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग